

प्रेषक,

बीरबल सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
भूमि अध्याप्ति निदेशालय,
राजस्व परिषद, उ०प्र०,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-13

लखनऊ दिनांक ०१ जून, 2015

विषय- भू-अर्जन के ऐसे मामलों में जिनमें भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की अधिसूचना जारी हो गयी हो और प्रतिकर का अवधारण नवीन अधिनियम, 2013 के अंतर्गत किया जाना है, में प्रतिकर अवधारण हेतु "कट ऑफ डेट" का निर्धारण करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-369/10(भू०अ०) 397वि०/2010, दिनांक 18 मार्च, 2015 जिसके माध्यम से भू-अर्जन के ऐसे मामलों में जिनमें भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की अधिसूचना जारी हो गयी हो और प्रतिकर का अवधारण नवीन अधिनियम, 2013 के अंतर्गत किया जाना है, में प्रतिकर अवधारण हेतु "कट ऑफ डेट" का निर्धारण करने के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अनुसार जिनमें धारा-4(1) की अधिसूचना दिनांक 01-01-2014 से पहले जारी हो गयी है, उनमें प्रतिकर के निर्धारण हेतु धारा-4(1) के प्रकाशन के दिनांक को कट ऑफ डेट माना जायेगा। कृपया तदनुसार प्रकरण के संबंध में अग्रतर कार्रवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बीरबल सिंह)

उप सचिव